मोहनी देवी आदि बनाम रामजीलाल आदि

किस्म मुकदमा – वाद पत्र नं 26 सन् 2015

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
25	वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O_{23} $R_{1(3B)}$ CPC पर वकील वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादीगण की ओर से दिनांक 02.06.2015 को प्रस्तुत वाद में खाता विभाजन के लिए घोषणा चाही गई है। किन्तु वाद में हैडिंग (शीर्षक) के अलावा कही भी इस अनुतोष का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है। चुंकि विवादित भूमि के पूर्व खातेदार वादीनी के पिता आशाराम के हम चार बेटियां है एवं चारों ही उनकी सम्पति की हिन्दु विधि से जायद हकदार है। किन्तु वाद पेश करने के दौरान वादीनी सिर्फ मोहनी देवी, रूकमा सतबाला को पक्षकार मानते हुए तत्कालीन समय में वाद वकील द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया तथा 3/4 हिस्सा की मांग की गई, जबकि हम अनपढ़ महिला है एवं वाद में अंकित तथ्यों के बारे में अपनढ़ होने की वजह से हमे ज्ञान नही था। वर्तमान में अपने वकील से चाहे गये अनुतोष के बारे मे पुछने पर बताया गया कि आपके द्वारा 3/4 हिस्सा अनुतोष चाहा गया, जो गलत है। क्योकि हम चार बहनें है तो प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा होना चाहिए तथा इसलिए O_{23} $R_{1(3B)}$ CPC स्वीकार कर नये सिरे से नये अनुतोष के साथ वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा भूलवश अनुतोष हक से अधिक मांगा गया है जो अभिलेख वाद के अनुसार सही है। लेकिन वाद 2015 से चला आ रहा है। वादीनी किसी भी प्रकार से इतने लम्बे समय बाद वाद प्रत्याहरण कर नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने की कानूनी अधिकारी नहीं है। वाद की वादीनी संख्या 1 मोहनी देवी का स्वर्गवास दिनांक 29/02/2024 को हो गया है एवं न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ़ में विचाराधीन वाद संख्या 11/2024 अनुवान रूकमा आदि बनाम रामजीलाल में दिनांक 07.06.2024 को O_{22} R_3 CPC के प्रार्थना पत्र में इनकी मुत्यु होना स्वीकार किया है। जिससे यह वाद पूर्ण रूप से उपसमन (Abete) हो जाने से इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। वादीनी द्वारा चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने की किसी प्रकार की अधिकारीता नहीं रखती है। अन्त में प्रार्थना पत्र O_{23} $R_{1(3B)}$ CPC व मूल वाद को खारिज करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा वाद के शीर्षक में खाता विभाजन की मांग की गई है किन्तु वाद में अन्य कही पर भी खाता विभाजन की मांग नहीं की गई है एवं इस कथन को प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार भी किया है साथ ही चाहे गये अनुतोष में हक से अधिक अनुतोष चाहे जाने के बिन्दू को भी प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब मे स्वीकार किया है। जहां तक यह बिन्दू है कि 2015 से वाद विचाराधीन है एवं इतने लम्बे समय बाद प्रत्याहरण कर नये वाद प्रस्तुत करने का बिन्दू है तो न्यायालय का यह मत है कि बिना पूर्ण तथ्यों व चाहे गये अनुतोष के इस वाद का निस्तारण करना न्याय संगत नहीं होगा। साथ ही वादीनी संख्या 1 का स्वर्गवास दिनांक 29.02.2024 को होने व वादीगण को सूचना होने के पश्चात भी सूचना इस न्यायालय में नही देने के कारण वादीनी संख्या 1 मोहिनी देवी के अधिकारो तक यह वाद उपसमन (Abete) किया जाना उचित है। अतः वादीनी का O_{23} $R_{1(3B)}$ CPC स्वीकार किया जाकर वादीनी को इस वाद को प्रत्याहरण कर नये सिरे से निर्णय के 30 दिवस के अन्दर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही वादीनी संख्या 1 मोहिनी देवी के अधिकारो तक यह वाद उपसमन (Abete) किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/5/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Jayendra	